

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

संतोष कुमार बनाम केशवदत्त वगैरे

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

मु0नं0 498 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/1027

तारीख हुवम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19-08-2025	<p>रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री नरेश सामोता एड. उपस्थित। वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 रा.का.अधि. दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकिल प्रार्थी ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थी के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1303, 1303/3466, 1338, 1340, 1340/3467, 1341 ता 1348, 1359/1, 1359/2, 1359/3472, 2301/1359, 2302/1359, 2303/1359 कुल किता 19 कुल रकबा 3.09 है0 राजस्व ग्राम गणेश्वर पटवार हल्का गणेश्वर तहसील नीमकाथाना का बेचान न करें तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें।</p> <p>उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने, विधुत कनेक्शन देने सम्बंधी विधिक प्रक्रिया की पालना में लागू नहीं होगी।</p> <p>प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 18.09.2025 को पेश हो।</p>	

(राजकीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (राज.)



पत्रावली  
 P.O. स्थिति में प्रस्थित  
 पत्रावली पूर्व आगवापुत्र दिनांक 29/09/25  
 को पेश हों

29/09/25

यदि प्रकार को मनी-पना  
 गयी या 20/9/25  
 संशोधन करना  
 इतिहास  
 @ 20/9/25

वकील गर्मी द्वारा डाकपत्र विज्ञापन  
 फलाने हेतु डाकपत्र मिलल लकी  
 पेश करने पर पत्रावली नियत तारीख  
 पेशा से पूर्व आज तक की गयी  
 डाकपत्र टी. आरि. से संबंधित मूल बाद  
 विज्ञापन जा चुका है। ऐसी स्थिति में  
 प्रकाश में कोई कार्यवाही संप्रेषित नहीं है।  
 अतः कार्यवाही प्रकाश दृष्टी हटा पर प्रेष  
 किया जाता है। पत्रावली फलाने शूगर होकर  
 नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल प्रेषित  
 इफ्तल हो। निर्दिष्ट से ईजलास सुनाया  
 गया।

*(Signature)*

राजवीर सिंह यादव  
 सपखण्ड अधिकारी  
 नीमकाथाना (सीकर)

